

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 24.04.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर, राष्ट्रीय सहारा, आज, ज्ञानशिखा टाइम्स, न्यायाधीश, समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

राष्ट्रीय सहारा—दि० 24.04.2025

**अपर
सचिव ने
मानचित्र
निस्तारण
को लेकर
की समीक्षा**

वाराणसी (एसएनबी)। वीडिए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देशों के क्रम में बुधवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण में अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा ने जौन-एक एवं जौन-दो की समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान लंबित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए शीघ्र मानचित्र निस्तारण के लिए निर्देश दिया गया। जौन-एक के वार्ड शिवपुर, सिकरौल एवं विन्यास में विगत 14 अप्रैल से 20 अप्रैल 2025 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रु. 10,50,000 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रु. 12,24,78,676 एवं जौन-दो के वार्ड सारनाथ, आदमपुर, जैतपुरा एवं विन्यास में विगत 14 अप्रैल से 20 अप्रैल 2025 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रु. 12,89,708 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष-2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रु. 8,82,46,174 जमा कराया गया है। स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन तथा विधिक कार्यवाही करने को भी जौनल अधिकारी को निर्देशित किया गया। सील प्रकरणों की जांच एवं बेसमेंट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए निर्देश दिया गया है एवं सचेत किया गया कि विलंबतम एक सप्ताह में जनशिकायतों का निस्तारण प्रारम्भिकता पर सुनिश्चित किया जाय। शहर में हो रहे अनियोजित विकास एवं अवैध प्लानिंग का चिन्हांकन करते हुए नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही/ ध्वस्तोकरण सुनिश्चित कराने के लिए निर्देश दिया गया है। उक्त समीक्षा बैठक में जौन-एक के जौनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा, अवर अभियन्ता संजय तिवारी, अवर अभियन्ता रोहित कुमार, भवन लिपिक किरन सिंह एवं जौन-दो के जौनल अधिकारी प्रकाश कुमार, अवर अभियन्ता विनोद कुमार सहित भवन लिपिक रश्मि रघुवंशी एवं समस्त फील्ड कार्मिक उपस्थित रहे।

आज—दि० 24.04.2025

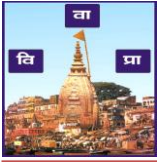
अपर सचिवने की वसूलीकी बैठक, अधिकारियोंको दी चेतावनी

विकास प्राधिकरणके अपर सचिव डॉक्टर गुडाकेश शर्माने बुधवारको जौन एक के वार्ड- शिवपुर, सिकरौल और जौन-दो के वार्ड-सारनाथ, आदमपुर, जैतपुराके कार्योंकी समीक्षा की। इस दरम्यान उन्होंने वसूलीको लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए जौनल अधिकारी अभियन्ताओंको चेतावनी दी। उन्होंने सील प्रकरणमें सतर्कता बरतने, बेसमेंट खाली कराने, एक सप्ताहमें जन शिकायतें दूर करनेका निर्देश दिया। बैठकमें बताया गया कि अभी तक दस लाख पचास हजार रुपये जौन एक में जमा किया गया है एवं जौन दो में आठ करोड़ ८२ लाख ४६ हजार एक सौ चौहत्तर रुपया विप्रा कोष में जमा कराया गया। बैठक में जौन-एक के जौनल अधिकारी शिवाजी मिश्र और जौन-दो के जौनल अधिकारी प्रकाश कुमारके अलावा अवर अभियन्ता संजय कुमार तिवारी, रोहित कुमार, विनोद कुमार एवं अन्य फील्ड कर्मचारी मौजूद थे।



: vcvdavns | Varanasi Development Authority, Janhit Service : janhit.upda.in, E-Tender : etender.up.nic.in

Online Building Plan Approval System : www.upobpas.in, Awas Bandhu, Govt of UP: www.awas.up.nic.in



वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

न्यायाधीश-दि० 24.04.2025

अपर सचिव वाविप्रा डॉ० गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-1 एवं जोन-2 की समीक्षा बैठक की गयी



निर्देश दिया गया है एवं सचेत किया गया कि विलम्बतम 01 सप्ताह में जनशिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाय। शहर में हो रहे अनियोजित विकास एवं अवैध प्लॉटिंग का चिन्हांकन करते हुए नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही/ध्वस्तीकरण सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश दिया गया है। साथ ही बैठक

में अपर सचिव द्वारा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित किया गया कि सौंपे गये कार्य के प्रति कोई लापरवाही एवं शिथिलता न बरती जाय अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरुद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण से देखा जायेगा। उक्त समीक्षा बैठक में जोन-1 के जोनल अधिकारी, श्री शिवाजी मिश्रा, अवर अभियन्ता, श्री संजय तिवारी, अवर अभियन्ता, श्री रोहित कुमार, भवन लिपिक, श्रीमती किरन सिंह एवं जोन-2 के जोनल अधिकारी, श्री प्रकाश कुमार, अवर अभियन्ता, श्री विनोद कुमार सहित भवन लिपिक, श्री रक्षित रघुवंशी एवं समस्त फील्ड कार्मिक उपस्थित रहे।

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा जोन-2 के वार्ड सारनाथ, के निर्देशों के क्रम में आज आदमपुर, जैतपुरा एवं विन्यास 23.04.2025 को वाराणसी में विगत दिनांक 14.04.2025 विकास प्राधिकरण, वाराणसी से दिनांक 20.04.2025 तक के सभागार कक्ष में अपर सचिव शमन शुल्क के मद में कुल डॉ० गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन- धनराशि ₹0 12,89,708.00 1 एवं जोन-2 की समीक्षा बैठक जमा कराया गया है तथा इस की गयी, समीक्षा बैठक के वित्तीय वर्ष-2024-25 में माह दौरान लम्बित शमन मानचित्रों अप्रैल से अभी तक कुल शमन की प्रकरणवार समीक्षा करते धनराशि ₹0-8,82,46,174.00 हुए शीघ्र मानचित्र निस्तारण हेतु जमा कराया गया है। स्वीकृत निर्देश दिया गया। जोन-1 के शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया वार्ड शिवपुर, सिकरौल एवं शमन शुल्क जमा न करने वाले विन्यास में विगत दिनांक निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध प्रभावी 14.04.2025 से दिनांक प्रवर्तन तथा विधिक कार्यवाही 20.04.2025 तक शमन शुल्क करने को भी जोनल अधिकारी के मद में कुल धनराशि ₹0 को निर्देशित किया गया। सील 10,50,000.00 जमा कराया प्रकरणों की जाँच एवं बेसमेण्ट गया है तथा इस वित्तीय वर्ष खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था 2024-25 में माह अप्रैल से सुनिश्चित कराने का निर्देश अभी तक कुल शमन धनराशि दिया गया है। जन शिकायतों ₹0-12,24,78,676.00 एवं के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु

ज्ञानशिखा टाइम्स-दि० 24.04.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण के अपर सचिव ने की समीक्षा बैठक

वाराणसी। विकास प्राधिकरण, वाराणसी के सभागार कक्ष में अपर सचिव डॉ० गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-1 एवं जोन-2 की समीक्षा बैठक की गयी, समीक्षा बैठक के दौरान लम्बित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए शीघ्र मानचित्र निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया। जोन-1 के वार्ड शिवपुर, सिकरौल एवं विन्यास में विगत दिनांक 14.04.2025 से दिनांक 20.04.2025 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि ₹0 10,50,000.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि ₹0-12,24,78,676.00 एवं जोन-2 के वार्ड सारनाथ, आदमपुर, जैतपुरा एवं विन्यास में विगत दिनांक 14.04.2025 से दिनांक 20.04.2025 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि ₹0

12,89,708.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष-2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि ₹0-8,82,46,174.00



जमा कराया गया है। स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन तथा विधिक कार्यवाही करने को भी जोनल अधिकारी को

निर्देशित किया गया। सील प्रकरणों की जाँच एवं बेसमेण्ट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। जन

अनियोजित विकास एवं अवैध प्लॉटिंग का चिन्हांकन करते हुए नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही/ध्वस्तीकरण सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश दिया गया है। साथ ही बैठक में अपर सचिव द्वारा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित किया गया कि सौंपे गये कार्यों के प्रति कोई लापरवाही एवं शिथिलता न बरती जाय अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरुद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण से देखा जायेगा। उक्त समीक्षा बैठक में जोन-1 के जोनल अधिकारी, श्री शिवाजी मिश्रा, अवर अभियन्ता, श्री संजय तिवारी, अवर अभियन्ता, श्री रोहित कुमार, भवन लिपिक, श्रीमती किरन सिंह एवं जोन-2 के जोनल अधिकारी, श्री प्रकाश कुमार, अवर अभियन्ता, श्री विनोद कुमार सहित भवन लिपिक, श्री रक्षित रघुवंशी एवं समस्त फील्ड कार्मिक उपस्थित रहे।



: vcvdavns f: Varanasi Development Authority, Janhit Service : janhit.upda.in, E-Tender : etender.up.nic.in

Online Building Plan Approval System : www.upobpas.in, Awast Bandhu, Govt of UP: www.awas.up.nic.in